न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः—लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 026/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— प्रार्थी

बनाम

1. प्रेम सिंह पुत्र दुर्जनशाल सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार,
2. संतोष सिंह पुत्र दुर्जनशाल सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
3. कुलदीप पुत्र बजरंग, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
4. नगेन्द्र पुत्र बजरंग, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
5. मंजू कंवर पुत्री बेरिशाल सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
6. यशवीर सिंह पुत्र बेरिशाल सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
7. बलवीर पुत्र मदन सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
8. करणवीर सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
9. विनिता पत्नी जयवीर, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
10. अमनदीप पुत्र जयवीर सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
11. प्रियंका पुत्री जयवीर सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
12. विनोद पुत्र विशाल सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
13. राजूसिंह पुत्र विशाल सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
14. प्रवीण पुत्र विशाल सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
15. महेन्द्र पुत्र विशाल सिंह जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
16. कुलदीप पुत्र रणवीर, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
17. टीमू पुत्री रणवीर, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
18. अजीत सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
19. बाला कंवर पत्नी औमसिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
20. यजुवेन्द्र सिंह पुत्र औमसिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
21. सविता पुत्री औमसिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
22. औमकंवर पत्नी जीवराज, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
23. कलवंत सिंह पुत्र जीवराज, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
24. उच्छव कंवर पत्नी सवाई सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
25. विजय पुत्र सवाई सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
26. दशरथ पुत्र सवाई सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
27. कृष्णा कंवर पत्नी सम्पत सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
28. राहुल पुत्र सम्मत सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार
29. प्रियंका पुत्री सम्पत सिंह, जाति राजपूत, सा.दे.गैरखातेदार, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.23 17:21:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट– प्रार्थी की ओर से।
2. श्री देवेन्द्र सिंह शेखावत, एडवोकेट– अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 16 व 18 लगायत 29 की ओर से।
3. अप्रार्थी सं0 17 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 08.06.2022

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि ग्राम मौजा कालीपहाडी तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 287 के अनुसार ग्राम कालीपहाडी में स्थित भूमि ख0नं0 184 रकबा 0.21 है0, किस्म बंजड 2 की गैर खातेदारी दुर्जनशाल सिंह पुत्र नाहरसिंह, बेरीशाल सिंह पुत्र नाहरसिंह, विशाल सिंह पुत्र नाहरसिंह, मदन सिंह पुत्र नाहर सिंह, सवाई सिंह पुत्र नाहर सिंह, समुद्र सिंह पुत्र नाहरसिंह हिस्सा प्रत्येक 1/6 जाति राजपूत, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं सा0 देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0नं0 एवं पूर्व के रिकॉर्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है –

क्र0सं0	जमाबन्दी सम्वत्	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण
1.	2012–2015	68	6 बीघा, 16बिस्वा	बंजड़ दोयम	सरकार
2.	2015–2018	68	1 बीघा, 11 बिस्वा	बंजड़ दोयम	रिध सिंह पुत्र जगमाल सिंह, सतपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह, सांवत सिंह पुत्र जगमाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह हिस्सा 1/2, सोहन सिंह पुत्र मघसिंह 1/2, जाति राजपूत सा.देह
3	2017–2020	68	1 बीघा 2 बिस्वा	बंजड़ दोयम	राजकीय भूमि
4	2021–2024	68	15 बिस्वा	बंजड़ दोयम	नाहर सिंह पुत्र छोगसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गैर खातेदार
5	2025–2028	68/2	17 बिस्वा	बंजड़ दोयम	नाहर सिंह पुत्र छोगसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गैर खातेदार
6	2029–2032	68/2	17 बिस्वा	बंजड़ दोयम	नाहर सिंह पुत्र छोगसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गैर खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.23 17:21:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

7	2033–2036	68/2	17 बिस्वा	बंजड़ दोयम	नाहर सिंह पुत्र छोगसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गैर खातेदार
8	2042–2045	68/2	17 बिस्वा	बंजड़ दोयम	विशाल सिंह, दुर्जनशाल सिंह, सवाई सिंह, बेरिसाल सिंह, मदन सिंह, समुद्र सिंह पि0 नाहरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गैर खातेदार
9	2046–2049	68/2	17 बिस्वा	बंजड़ दोयम	विशाल सिंह, दुर्जनशाल सिंह, सवाई सिंह, बेरिसाल सिंह, मदन सिंह, समुद्र सिंह पि0 नाहरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गैर खातेदार
10	2060–2063	184	0.21 है.	बंजड़ 2	विशाल सिंह, दुर्जनशाल सिंह, सवाई सिंह, बेरिसाल सिंह, मदन सिंह, समुद्र सिंह पि0 नाहरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गैर खातेदार
11	2062–2065	184	0.21 है.	बंजड़ 2	विशाल सिंह, दुर्जनशाल सिंह, सवाई सिंह, बेरिसाल सिंह, मदन सिंह, समुद्र सिंह पि0 नाहरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गैर खातेदार
12	2063–2066	184	0.21 है.	बंजड़ 2	विशाल सिंह, दुर्जनशाल सिंह, सवाई सिंह, बेरिसाल सिंह, मदन सिंह, समुद्र सिंह पि0 नाहरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गैर खातेदार
13	2067–2070	184	0.21 है.	बंजड़ 2	विशाल सिंह, दुर्जनशाल सिंह, सवाई सिंह, बेरिसाल सिंह, मदन सिंह, समुद्र सिंह पि0 नाहरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गैर खातेदार
14	2071–2074	184	0.21 है.	बंजड़ 2	विशाल सिंह, दुर्जनशाल सिंह, सवाई सिंह, बेरिसाल सिंह, मदन सिंह, समुद्र सिंह पि0 नाहरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गैर खातेदार
15	2074–2077	184	0.21 है.	बंजड़ 2	दुर्जनशाल सिंह पुत्र नाहर सिंह, बेरीशाल सिंह पुत्र नाहरसिंह, विशाल सिंह पुत्र नाहर सिंह, मदन सिंह पुत्र नाहर सिंह, सवाई सिंह पुत्र नाहर सिंह, समुद्र सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.23 17:21:26 IST
Reason: SelfAttested

					पुत्र नाहरसिंह हिस्सा प्रत्येक 1/6 जाति राजपूत, सा0 देह गैर खातेदार

उक्त वर्णित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2012–2015 से गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो बिना किसी कारण व आदेश के दर्ज हुई है जो गलत है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की ख़ातेदारी कब्जे मे दिया जाना न्यायोचित नही है। इस प्रकार की भूमियों की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन की आड़ में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त विवादित भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तलफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढ़गी तथा अनेकों कानूनी पेचदगियां उत्पन्न हो जावेगी। विवादित भूमि श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी की हैसियत से से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थना–पत्र बहुत ही मजबूत आधारों पर पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थना–पत्र राजहक में पेश है अतः सभी प्रकार से शुल्कों से मुक्त रखने की कृपा करे। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 287 के अनुसार ग्राम कालीपहाडी में स्थित भूमि ख0सं0 184 रकबा 0.21 है0, किस्म बंजड 2 की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करे।

2. बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम कालीपहाडी की सरहद मे स्थित भूमि ख0सं0 184 रकबा 0.21 है0, किस्म बंजड 2 के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2012–2015 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 68 की गैर खातेदारी दुर्जनशाल सिंह पुत्र नाहरसिंह, बेरीशाल सिंह पुत्र नाहरसिंह, विशाल सिंह पुत्र नाहरसिंह, मदन सिंह पुत्र नाहर सिंह, सवाई सिंह पुत्र नाहर सिंह, समुद्र सिंह पुत्र नाहरसिंह हिस्सा प्रत्येक 1/6 जाति राजपूत, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं सा0 देह गैर खातेदार के खाते मे दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग मे काम आ रही है। भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड मे बंजड दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की गैरखातेदारी अनोवदक के खाते से हटाई जाकर खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.23 17:21:26 IST
Reason: SelfAttested

3. अप्रार्थी वकील ने राजकीय अभिभाषक के [illegible] विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि गिरदावरी मे विवादित भूमि पर काश्त होना दर्ज है। अप्रार्थी को विवादित भूमि की गैर खातेदारी से खातेदारी दी जा सकती है। अप्रार्थी विवादित भूमि मे काबिज काश्तकार है। पूर्व मे भी इस तरह की भूमियों के क्रम मे इसी न्यायालय द्वारा रेफरेन्स खारिज किये गये है। अतः प्रार्थी को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

4. पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। ग्राम कालीपहाडी की सरहद मे स्थित विवादित भूमि ख0न0 184 रकबा 0.21 है0 किस्म बंजड 2 जिसके पुराने भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 6 बीघा 16 बिश्वा है की गैर खातेदारी दुर्जनशाल सिंह पुत्र नाहरसिंह, बेरीशाल सिंह पुत्र नाहरसिंह, विशाल सिंह पुत्र नाहरसिंह, मदन सिंह पुत्र नाहर सिंह, सवाई सिंह पुत्र नाहर सिंह, समुद्र सिंह पुत्र नाहरसिंह हिस्सा प्रत्येक 1/6 जाति राजपूत, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं सा0 देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात व जमाबन्दी से तथा राजकीय अभिभाषक के कथनों से पुष्टि होती है कि उक्त आराजी की गैर खातेदारी अनावेदक के नाम रही है, वर्तमान में भी अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना उचित समझते हैं।

5. अतः ग्राम कालीपहाडी तहसील व जिला झुंझुनू स्थित अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज हुई भूमि हाल ख0न0 184 रकबा 0.21 है0 किस्म बंजड 2 की गैर खातेदारी निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि भूमि ख0न0 184 रकबा 0.21 है0 किस्म बंजड 2 की गैर खातेदारी अप्रार्थी के नाम से खारिज फरमाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार झुंझुनूं को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 08.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.23 17:21:26 IST
Reason: SelfAttested